प्र.सं. 20/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम श्रीमती चमेली व अन्य
प्र.सं. 21/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम श्रीमती चमेली व अन्य
प्रकरण संख्या 22/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम नरेश व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2025	प्रकरण में तीनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार हैं :— न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 20/2021 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 3/93) के वादी देवीलाल/रेस्पोन्डेन्ट ने मौजा सागवाडा के आराजी नंबर 6443 साबिक आराजी नंबर 4969 संवत् 2000 एवं इससे पूर्व के बन्दोबस्त संवत् 1982 के आराजी नंबर 3953 की घोषणा एवं प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के विरूद्ध आराजी नंबर 6443 रकबा 0.07 बिस्वा से बेदखल नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाही। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 21/2021 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 138/95) के वादी मांगीलाल/अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नंबर 6442 को कृषि से अकृषि हिस्से को हटाया जाकर आराजी नंबर 6442 रकबा 0.04 बिस्वा भूमि बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामीर कार्य नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाही। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 22/2021 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/95) के वादी मांगीलाल/अपीलान्ट ने आराजी नंबर 6443 बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा एवं सर्वकालीन निषेधाज्ञा उक्त भूमि पर तामीर नहीं करने एवं उक्त आराजी के भूखण्ड 65 गुणा 26 पर किये गये तामीर कार्य को हटाये जाने का अनुतोष चाहा। उक्त तीनों प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा ने प्रकरण संख्या 11/95 में दिनांक 27.03.1999 को निर्णय पारित करते हुए आराजी नंबर 6443 के भाग 65 गुणा 26 फिट भाग पर प्रतिवादीगण केशवलाल को बेदखल किये जाने, प्रकरण संख्या 138/95 में खसरा नंबर 6442 रकबा 4 बिस्वा खसरा नंबर 4969 का भाग मानते हुए प्रतिवादी केशवलाल के खाते से हटाया जाकर वादी मांगीलाल के खाते दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील न्याय[illegible] अपील प्रस्तुत की गयी,	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24.06.1999 को खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.1999 को बहाल रखा। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गयी, जो राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 25.06.2009 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.1999 एवं राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 24.06.1999 को खारिज कर दिया एवं प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 07.12.2021 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण संख्या 3/93 (न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 20/21) वादी देवीलाल व अन्य के पक्ष में, प्रकरण संख्या 11/95 (न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 21/21) प्रतिवादी देवीलाल व अन्य के पक्ष में तथा प्रकरण संख्या 138/95 (न्यायालय हाजा का प्रकरण संख्या 22/21) प्रतिवादी देवीलाल व अन्य के पक्ष में निर्णित करते हुए डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर मांगीलाल के वारिसान आनन्दीबाई व अन्य द्वारा उक्त तीनों अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उक्त तीनों ही अपीलों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय में पारित किया जाने से तीनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

तीनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट व श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव भटनागर उपस्थित हुए एवं बहस में भाग लिया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसके खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible] मौखिक एवं लिखित बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि सभी अपीलें विचारण न्यायालय में लम्बित मौजा सागवाड़ा के खसरा नंबर 6443 रकबा 7 बिस्वा एवं 6442 रकबा 4 बिस्वा के विवाद को लेकर प्रस्तुत की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट मांगीलाल ने प्रकरण संख्या 11/95 (आप न्यायालय की अपील संख्या 22/21) इस आशय की प्रस्तुत की कि खसरा नंबर 6643 रकबा 7 बिस्वा मांगीलाल के खाते व स्वामित्व का है, जिस भूखण्ड के 65 गुणा 26 फिट पर प्रतिवादीगण ने जबरन अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है, जिसे हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

इसी प्रकार वादी मांगीलाल द्वारा दूसरा वाद 138/95 (आप न्यायालय की अपील संख्या 21/21) इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी नंबर 6442 रकबा 4 बिस्वा गलत रूप से प्रतिवादी देवीलाल के खाते दर्ज हो गयी है, जबकि भूमि का स्वामी वादी है। अतः प्रतिवादी देवीलाल का नाम हटाया जाकर वादी मांगीलाल के खाते दर्ज की जावे व प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे तथा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का तामीर कार्य नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

इसी प्रकार वादी देवीलाल द्वारा वाद 3/93 (आप न्यायालय की अपील संख्या 20/21) इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी नंबर 6443 रकबा 7 बिस्वा प्रतिवादी मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज है, जिसे हटाया जाकर वादी देवीलाल के खाते दर्ज किया जावे।

उक्त तीनों की प्रकरणों में निर्णय मांगीलाल के विरूद्ध होने से उनके वारिसों द्वारा अपील पेश की गयी है। देवीलाल ने अपने वाद प्रकरण संख्या 20/2021 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 3/93) में यह कथन किया कि साबिक आराजी नंबर 4969 देवीलाल ने पंजीकृत विलेख से क्रय की है। यह जमीन कुरा वल्द गेबा ने विक्रय की जो विक्रय देवचन्द व नाथूलाल का होना बताया है। अपने वाद के समर्थन में देवीलाल द्वारा जो विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1957 प्रस्तुत किया गया है उसमें खसरा नंबर [illegible] रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

अंकित है। मिलान क्षेत्रफल में के प्रथम कॉलम में खसरा नंबर 4965 से खसरा नंबर 6441 बनना दर्शाया है, जबकि द्वितीय कॉलम में खसरा नंबर 4969 रकबा 7 बिस्वा से खसरा नंबर 6643 रकबा 7 बिस्वा होना अंकित किया है। जबकि खसरा नंबर 4969 का पंजीकृत विलेख दिनांक 31.08.1959 खातेदार केहवजी राधवजी द्वारा मांगीलाल के हक में किया गया है, जो मांगीलाल द्वारा पेश किया गया है। वादी देवीलाल की क्रय भूमि अलग है तथा प्रतिवादी मांगीलाल की क्रय भूमि अलग है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु पर गौर नहीं कर सभी तनकियात वादी देवीलाल के पक्ष में मानकर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है।

इसी प्रकार वादी मांगीलाल ने प्रकरण संख्या 20/2021 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/95) में कथन किया कि प्रतिवादी केशवलाल आदि ने वादी की आराजी नंबर 6443 रकबा 7 बिस्वा के 26 बाई 65 फिट पर जबरन कब्जा कर निर्माण प्रारम्भ कर दिया व छः दुकान के ढांचे खड़े कर दिये, उनके हटाने एवं कब्जा प्राप्त करने के संबंध में था, जिसके संबंध में वादी मांगीलाल ने खातेदार केहवजी राधवजी पिता पेमजी से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1959 पेश किया, जिससे खसरा नंबर 4969 रकबा 9 बिस्वा एवं 4968 रकबा 16 बिस्वा भूमि क्रय किया जाना साबित है। खसरा नंबर 4969 रकबा 9 बिस्वा से ही खसरा नंबर 6442 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6443 रकबा 7 बिस्वा कायम होना साबित है। खसरा नंबर 6441, 6442, 6443 का रेवेन्यू नक्शा पेश किया, जिससे सभी खसरे अलग होना एवं कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 28.05.1996 से कब्जा प्रतिवादी द्वारा नाजायज किया जाना साबित है। आराजी नंबर 6443 से प्रतिवादी व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी केशवलाल ने जवाबदावे में कथन किया है कि संवत् 1982 में वादीग्रस्त भूमि का खसरा नंबर 3592 था जो गेबा पिता पेमजी के खाते था। गेबा पिता पेमा से पंजीकृत विलेख से उक्त भूमि खरीदी। खसरा नंबर 3592 से खसरा नंबर 4969 अथवा 4965 (जो प्रतिवादी के विक्रय विलेख में अंकित हैं) कायम हुआ हो और खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 4969 से वर्तमान खसरा नंबर 6442 व खसरा नंबर 6443 कायम हुआ हो साबित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियात पर गलत निर्णय पारित कर वादी मांगीलाल का वाद खारिज किया है, जो अपास्त योग्य है।

इसी प्रकार वादी मांगीलाल ने प्रकरण संख्या 21/2021 (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 138/95) में वादी मांगीलाल ने देवीलाल के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 6442 रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के खाते से हटाकर वादी के खाते डाली जावे। इस वाद की तनकी नंबर 1 वादी ने साबित कराया है, जिससे स्पष्ट है कि साबिक आराजी नंबर 4969 केहवजी राधवजी के खाते दर्ज थे तथा वे ही काबिज होकर उनके द्वारा वादी मांगीलाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1959 को विक्रय किया गया है। साबिक नंबर 4969 रकबा 9 बिस्वा से ही हाल आराजी नंबर 6442 रकबा 4 बिस्वा कायम हुआ है, जो फर्द तुलनात्मक से स्पष्ट है।

तीनों ही प्रकरणों में देवीलाल, नटवरलाल, केशवलाल व रामशंकर को यह साबिक कराना आवश्यक था कि आराजी नंबर 6443 एवं 6442 संवत् 2000 के बन्दोबस्त की आराजी नंबर 4965 से एवं आराजी नंबर 4965 संवत् 1982 से बन्दोबस्त आराजी नंबर 3592 बने है, जबकि वादी मांगीलाल को मात्र यह साबित करना था कि आराजी नंबर 6442 एवं 6443 आराजी नंबर 4969 से कायम हुए हैं, लेकिन देवीलाल व अन्य द्वारा किसी भी पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि आराजी नंबर 3592 से ही आराजी नंबर 4965 बने हैं और आराजी नंबर 4965 से आराजी नंबर 6442 एवं 6443 बने हो, बल्कि फर्द तुलनात्मक से यह साबित हुआ है कि आराजी नंबर 4965 से आराजी नंबर 6441 बने हैं, जिस खसरा नंबर का कोई विवाद तीनों पत्रावलियों में नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि आराजी नंबर 6442 एवं 6443 से देवीलाल व अन्य का कोई संबंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी प्रकरणों में मांगीलाल के विरूद्ध एवं देवीलाल व अन्य के पक्ष में बगैर किसी दस्तोवजी साक्ष्य के फर्द तुलनात्मक से विपरीत जाकर मात्र कयासी आधार पर निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

पारित किये हैं, जो त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य हैं तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे। दौराने अपील कार्यवाही देवीलाल व उनके वारिसान ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में भूमि अपने खाते करवा ली हो और भूमि पर कब्जा कर लिया है, उसे अपास्त किया जाकर मांगीलाल के वारिसान को कब्जा दिलाया जावे एवं रेकार्ड में डिक्री अनुसार नाम दर्ज कराया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि तीनों प्रकरणों में मुख्य विवाद संवत् 2000 के भू–प्रबन्ध में कायम की गयी आराजी नंबर 4969 रकबा 9 बिस्वा का है। संवत् 2000 में उक्त भूमि शामलात देह दर्ज हो गयी, कैफियत की कलम संख्या 33 में रेस्पोन्डेन्टगण के पूर्वाधिकारी गेबा पिता पेमा का नाम अंकित है। इससे पहले संवत् 1982 के भू–प्रबन्ध में आराजी नंबर 4969 रकबा 9 बिस्वा का साबिक आराजी नंबर 3592 रकबा 8 बिस्वा बतौर खातेदार गेबा वल्द पेमजी दर्ज है। विवाद की शुरूआत यहीं से हुई जब भू–प्रबन्ध विभाग ने संवत् 1982 में आराजी नंबर 3592 रकबा 8 बिस्वा के इन्द्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के परिवर्तन कर दिये। यानि गेबा वल्द पेमजी की खातेदारी की भूमि शामलात देह दर्ज कर दी, जबकि उन्हें इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है, जैसाकि RRT 2024 (2) Page 1078 (Para 6), RRT 2024 (1) Page 386 (Para 8), RRT 2024 (1) Page 467 (Para 8), RRT 2024 (1) Page 463 (Head Note), RRT 2022 (1) Page 35 (Head Note), RRT 2021 (2) Page 1016 (Head Note) में तय किया गया है। अपीलान्टगण पूर्ववर्ती विक्रय पत्र दिनांक 22.07.1957 के आधार पर अपने अधिकार मांग रहे हैं, जबकि रेस्पोन्डेन्टगण पश्चात्वर्ती विक्रय विलेख दिनांक 31.08.1957 के आधार पर अपने अधिकार क्लेम कर रहे हैं। अपीलान्ट के पूर्वहितधारी का नाम केहवजी राघवजी वल्द मोड़जी है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वहितधारी का नाम गेबा वल्द पेमजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों प्रकरणों में साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः तीनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तीनों ही प्रकरणों में मुख्य विवाद यह है कि हाल आराजी नंबर 6443 एवं 6442 साबिक आराजी नंबर 4969 से बने हैं अथवा नहीं तथा साबिक आराजी नंबर 4969 को साबिक आराजी नंबर 3592 से बने हैं अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि तीनों प्रकरणों में तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, किन्तु अपने विवेचन में आराजी नंबर 4969 को साबिक आराजी नंबर 3592 से बनना माना है, जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि आराजी नंबर 4969 के साबिक आराजी नंबर 3592 थे। हालांकि साबिक आराजी नंबर 4969 से हाल आराजी नंबर 6442 एवं 6443 मिलान क्षेत्रफल अनुसार स्पष्ट है। जमाबन्दी संवत् 1982 में आराजी नंबर 3592 रकबा 8 बिस्वा गेबा वल्द पेमजी पटेल के नाम दर्ज है तथा संवत् 2000 की जमाबन्दी में साबिक आराजी नंबर 4969 शामलात देह दर्ज है। पत्रावली पर दिनांक 22.07.1957 का पंजीकृत विक्रय पत्र संलग्न है, जिसमें गेबा वल्द पूरा पटेल द्वारा आराजी नंबर 4965 व 4966 का विक्रय देवीलाल के पूर्वाधिकारी नाथूलाल व देवचन्द के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने देवीलाल द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 3/93 में तनकी नंबर 1 का विवेचन करते हुए साबिक आराजी नंबर 4969 के हाल आराजी नंबर 3592 होने के आधार पर वादी को साबिक आराजी नंबर 4969 से बने हाल आराजी नंबर 6443 बनना मानकर यह तनकी वादी देवीलाल के पक्ष में की एवं इसी तनकी के आधार पर लगभग सभी तनकियों में निर्णय पारित किया है, जबकि न तो आराजी नंबर 3592 से हाल आराजी नंबर 4969 बनना स्पष्ट है, क्योंकि इस बाबत् वादी देवीलाल द्वारा कोई तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि इसके विपरीत कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) डूंगरपुर द्वारा दिनांक 16.03.1993 को देवीलाल पिता नाथजी को जो सूचना पत्र जारी किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आप द्वारा मौजा सागवाडा के बन्दोबस्त संवत् 2000 के आराजी नंबर 4969 का तुलनात्मक नंबर संवत् 1982 के मुकाबले चाहा गया है, किन्तु मौजा सागवाड़ा समेत पूर्ण जिले के ग्रामों के बन्दोबस्त संवत् 2000 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 20/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम श्रीमती चमेली व अन्य
प्र.सं. 21/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम श्रीमती चमेली व अन्य
प्रकरण संख्या 22/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम नरेश व अन्य

मुकाबले में संवत् 1982 के खसरा नंबरान का अभिलेख तुलनात्मक तैयार किया हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस अभिलेख के आधार पर आराजी नंबर 4969 आराजी नंबर 3592 से बनना मान लिया गया है, यह परीक्षण का विषय है। दूसरा हम यह भी पाते हैं कि देवीलाल के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.1957 में क्रय किये गये विक्रय पत्र में साबिक आराजी नंबर 4969 का कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि आराजी नंबर 4965 व 4966 का उल्लेख है। तद्नुसार न तो आराजी नंबर 4969 वादी देवीलाल के पूर्वाधिकारी द्वारा क्रय किया जाना स्पष्ट है एवं न ही साबिक आराजी नंबर 4969 आराजी नंबर 3592 से बनना स्पष्ट है। इसके विपरीत वादी मांगीलाल द्वारा दिनांक 31.08.1957 का जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी आराजी नंबर 4968 का विक्रय केहवजी, राघवजी द्वारा मांगीलाल के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है। अर्थात दोनों ही विक्रय पत्रों में विवादित आराजी नंबर 4969 का विक्रय किया जाना प्रस्तुत विक्रय पत्रों से स्पष्ट नहीं है। हालांकि साबिक आराजी नंबर 4969 से हाल आराजी नंबर 6442 रकबा 4 बिस्वा एवं 6443 रकबा 5 बिस्वा बनना स्पष्ट प्रकट होता है।

उपरोक्तानुसार तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 3/93, 138/95 एवं 11/95 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त तनकी कायम कर तथा पूर्व में कायम शुदा तनकियों पर पुनः पक्षकारों की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.03.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 20/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम श्रीमती चमेली व अन्य
प्र.सं. 21/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम श्रीमती चमेली व अन्य
प्रकरण संख्या 22/2021 श्रीमती आनन्दीबाई व अन्य बनाम नरेश व अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested